दो इकाइयों से अधिक की अतिरिक्त इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता निम्नानुसार होगीः –

(i) तीन इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता एक एकल इकाई (क्रम संख्या 1,3,4 और 5 को छोड़कर) के लिए निर्धारित संकाय की उपयुक्त संख्या तक बढ़ाई जाएगी। चार इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता दो इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता से एकदम दोगुनी है (क्रम संख्या 1,3,4 और 5 को छोड़कर)।

(ii) उपरोक्त न्यूनतम आवश्यक मुख्य संकाय है जिसे कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया जाना है। हालांकि, संस्थान में मौजूदा संकाय की सेवाओं का भी इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जा सकता है यदि उसके पास निर्धारित योग्यता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक, किसी भी अतिरिक्त संख्या में संकाय नियुक्त किया जा सकता है।

(iii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए संकाय यदि उपलब्ध हो, तो संस्थान में साझा किया जा सकता है या अन्यथा अंशकालिक भर्ती की जा सकती है।

(iv) इस उद्देश्य के लिए नियुक्त परामर्शदाता या तो शिक्षा में सहायक प्रोफेसर होगा, जिसके पास स्नातकोत्तर स्तर पर एक पेपर के रूप में मार्गदर्शन और परामर्श से सम्बन्धित होगा या मार्गदर्शन और परामर्श में उपयुक्त योग्यता के साथ अंशकालिक परामर्शदाता होगा।

(v) इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय या कॉलेज के अन्य विभागों में मौजूदा भौतिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति होगी।

5.2 अर्हताएं :

संकाय के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगीः –

क. शिक्षा में प्रोफेसर या शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष के रूप में):

(i) विज्ञान या गणित या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) एम.एड.

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में पीएच.डी.

(iv) प्रोफेसर के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थान में दस साल और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आठ साल का शिक्षण अनुभव।

(v) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रासंगिक अर्हता।

वांछित:

शैक्षिक प्रशासन या मार्गदर्शन में डिप्लोमा या डिग्री।

ख. सहायक प्रोफेसर– स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र में:

(i) विज्ञान (भौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव विज्ञान) या गणित या सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र) या भाषाएँ (अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएँ या शास्त्रीय भाषाएँ या वाणिज्य संबद्ध विषय) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड. उपाधि।

(iii) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में या संबंधित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि?

वांछित:

(i) एम.एड. या विशेषज्ञता के साथ एम.एड

(ii) शिक्षा में पीएचडी.

ग. शैक्षिक अध्ययन में सहायक प्रोफेसर:

(i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड.)

(ii) इन श्रेणियों के पदों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता।

वांछित:

(i) मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र या समाजशास्त्र या उनके संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

घ. विशेष पाठ्यक्रम:

शारीरिक शिक्षा:

(i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी. एड.)

कला शिक्षा:

(i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ निष्पादन या दृश्य कला में स्नातकोत्तर डिग्री।